महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

निपुण भारत

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गुण0वि0/ईको क्लब –समग्र शिक्षा/ 2096 /2026–27 दिनांक : 25/6/ 2026

विषयः समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के कियान्वयन हेतु लिमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं के कियान्वयन में छात्र–छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से **समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27** में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त Recommendation के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" सम्बन्धी गतिविधियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रति विद्यालय धनराशि रू0 5000/– की दर से लिमिट जारी की जा रही है।

2– उद्देश्य

1. छात्र–छात्राओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।
2. जल, वन एवं प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास।
3. हरित गृह प्रभाव (ग्रीन हाउस इफेक्ट), ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, जल संरक्षण, जैव विविधता, वृक्षारोपण, आपदा प्रबन्धन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रति छात्र–छात्राओं में बेहतर समझ विकसित करना।

3– "Eco Clubs for Mission LiFE" का गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त छात्र–छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर कौशल एवं क्षमता विकसित करने के उददेश्य से विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" का निम्नवत् गठन किया जाये :–

प्रधानाध्यापक	–	संरक्षक
एक शिक्षक	–	प्रभारी (चक्रीय क्रम में)
उच्चतम कक्षा का एक सक्रिय छात्र/छात्रा	–	अध्यक्ष/कैप्टन
छात्र/छात्राएं	–	प्रत्येक कक्षा से चार या पांच छात्र/छात्राएं – सदस्य

4– "Eco Clubs for Mission LiFE" की अधिसूचना

प्रत्येक विद्यालय द्वारा "Eco Clubs for Mission LiFE" का गठन कर अधिसूचना जारी की जायेगी तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल **(https://ecoclubs.education.gov.in/)** पर अपलोड की जायेगी, जिसका **प्रारूप संलग्न है (संलग्नक–1)** ।

5– कार्य एवं दायित्व

1. "Eco Clubs for Mission LiFE" द्वारा एस0एम0सी0 एवं विद्यालय के समस्त स्टॉफ से क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वित हेतु सहयोग लिया जाये।
2. विशिष्ट विषयों जैसे–ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु उप समितियों का गठन किया जाये।
3. "Eco Clubs for Mission LiFE" की गतिविधियों की समीक्षा एवं आगामी माह की कार्य योजना बनाये जाने हेतु प्रत्येक माह में एक बार क्लब की बैठक अवश्य की जाये, जिसका एजेण्डा पूर्व से निर्धारित कर लिया जाये।
4. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को क्लब के रजिस्टर में अंकित कर सभी सदस्यों को अवलोकित कराया जाये।
5. "Eco Clubs for Mission LiFE" के प्रभारी द्वारा समस्त गतिविधियों, प्रोजेक्ट एवं उपलब्धियों का अभिलेखीकरण कराते हुये नियमित रूप से प्रधानाध्यापक को अवलोकित कराया जाये।
6. "Eco Clubs for Mission LiFE" के प्रभारी द्वारा यथावश्यकतानुसार विद्यालय समय के उपरान्त विद्यालय में "Eco Clubs for Mission LiFE" से सम्बन्धित सभी गतिविधियों में मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाये।

7. "Eco Clubs for Mission LiFE" की गतिविधियों में समस्त विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जाये।

6– गतिविधियों का मासिक कैलेण्डर

"Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु मासिक कैलेण्डर निम्नवत् है :–

क्र0सं0	माह	गतिविधि
1	**जुलाई (स्वस्थ जीवन शैली अपनाना)**	• "Eco Clubs for Mission LiFE" क्लब का गठन। • **"एक पेड़ माँ के नाम 3.0"** का पौधारोपण अभियान चलाकर विद्यालय परिसर, निकटतम ग्राम सभा/पार्क की खाली भूमि आदि पर स्थानीय मृदा के अनुरूप पौधे रोपित किये जायें। • रोपित पौधों की विशेषता एवं लाभ के संबंध में छात्र–छात्राओं को जानकारी दी जाये तथा पौधारोपण के संबंध में पोस्टर एवं कोलाज बनाने तथा स्वतंत्र रूप से अपने विचार लिखने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाये। • रोपित पौधों की सुरक्षा, खाद, पानी एवं गुड़ाई आदि कार्यों हेतु विद्यार्थियों को पौधे आवंटित कर देखरेख का दायित्व सौंपा जाये। • विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाये तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाये। • विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं जनसमुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये। • द्वितीय शनिवार को पर्यावरण संरक्षण पर स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करायी जाये। • पर्यावरण संरक्षण पर वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायें।
2	**अगस्त (दीर्घ कालिक खाद्य प्रणाली अपनाना)**	• विद्यार्थियों से विद्यालय में **आरोग्य वाटिका/किचन गार्डेन** तैयार कराया जाये। विद्यालय के पास आवश्यक खाली जमीन नहीं होने की स्थिति में पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लतायुक्त पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। • रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपलब्ध उपयुक्त कचरे का प्रयोग कर **कम्पोस्ट खाद** एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास कर प्रयोग में लाया जाये। • स्वस्थ्य जीवन शैली हेतु मोटे अनाजों के लाभ के बारे में बताया जाय। • छात्र–छात्राओं को उपर्युक्त पहलों से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने और उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। • द्वितीय शनिवार को किचन गार्डेन एवं कम्पोस्ट खाद के लाभ पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाये।
3	**सितम्बर (ई–कचरा–अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कम कराना)**	• इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निपटान और पुनः उपयोग के लिए **ई–कचरा संग्रहण अभियान** संचालित कराया जाये। • ई–कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित कर पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इकट्ठा किया जाये। • अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की सूची बनाकर अधिकृत ई–कचरा संग्रहकर्ताओं के माध्यम से निस्तारित कराया जाये। • नुक्कड़ नाटक एवं निबन्ध प्रतियोगिता के माध्यम से ई–कचरा कम करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये। • प्रार्थना सभा में ओजोन फ्रैंडली उत्पाद की आवश्यकता एवं ओजोन परत क्षरण के दुष्परिणामों पर व्याख्यान कराया जाये।

4	अक्टूबर (कूड़ा कम करना)	• स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण के दृष्टिगत विद्यार्थियों और समुदायों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाये। • उचित अपशिष्ट निपटान के लिए विद्यार्थियों को **अपशिष्ट पृथक्करण (Waste Segregation)** का कौशल सिखाया जाय। • सभी कक्षाओं में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग–अलग डस्ट–बिन रखा जाये तथा उनके चिन्हीकरण हेतु साइनेज लगाया जाय। सैनिटरी नैपकिन, डायपर आदि के लिए शौचालय में डस्ट–बिन रखा जाये। • अपशिष्ट पृथक्करण (Waste Segregation) को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में **खाद गड्ढों (Compost pits)** का निर्माण कराया जाये। उससे उत्पन्न खाद का उपयोग किचन गार्डन में कराया जाये। • **3R(Reduce-Re-use & Recycle)** यानी कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट कला प्रतियोगिता आयोजित की जाये। • पुराने कपड़े, खिलौने, फर्नीचर आदि दान करने के लिए दान अभियान आयोजित किया जाये। एकत्रित वस्तुयें एन0जी0ओ0 एवं जरूरतमंदों को दी जायें। • आस–पास की छोटी कबाड़ की दुकान के डीलरों के साथ बातचीत सत्र आयोजित किया जाये कि कचरा कहां जाता है, वे कचरे को कैसे अलग करते हैं, वस्तुओं को कैसे पुनर्चक्रित किया जाता है, आदि के बारे में प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित कराया जाय। • छात्र–छात्राओं के मध्य कूड़ा प्रबन्धन पर चित्रकला प्रतियोगिता करायी जाये। • प्रार्थना सभा में पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले कार्यों जैसे– कूड़े–कचरे का अवैध रूप से गैर–चिन्हित स्थलों पर निस्तारण, हॉस्पिटल के कूड़े कचरे का असुरक्षित निस्तारण इत्यादि के संबंध में जागरूक किया जाये। • द्वितीय शनिवार को विद्यालय स्टॉफ, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान चलाने हेतु प्रभात फेरी करायी जाये।
5	नवम्बर (ऊर्जा बचाना)	• ट्यूब–लाइट, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि का उपयोग नहीं होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऑफ करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाये। • "Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत एक **ऊर्जा टीम का गठन** किया जाय, जिनके द्वारा विद्यालय समय के पश्चात् सभी विद्युत उपकरणों को बंद करना सुनिश्चित किया जाय। टीम के सदस्यों की ड्यूटी रोस्टर में लगायी जाये। • गैर सरकारी संगठनों, बिजली विभाग आदि के सहयोग से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर गोष्ठी आयोजित करायी जाये। • ऊर्जा संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर और विद्यालय के नोटिस बोर्ड का उपयोग किया जाये। • सोलर पैनल लगाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। • प्रथम शनिवार को बिजली बचत के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा की जाये।
6	दिसम्बर (पानी बचाना)	• फ्लश सिस्टम, नल और पानी के पाइप में लीकेज की जानकारी होने पर क्लब शिक्षक प्रभारी को अवगत कराया जाये। • विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा आस–पास के जल स्रोतों के **पानी की**

		शुद्धता का परीक्षण कराया जाये तथा इसके लिये विद्यालय प्रयोगशाला का भी प्रयोग किया जा सकता है। • विद्यार्थियों एवं समुदाय के साथ **जल संरक्षण रैली** का आयोजन किया जाये, जिसमें छात्र–छात्राओं के दादा–दादी को भी विद्यालय में बुलाकर उनके अनुभवों को साझा कराया जा सकता है। • **वर्षा जल संचयन प्रणाली** और इसके लाभों के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया जाये। • प्रथम शनिवार को जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग पर पोस्टर/भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया जाये।
7	जनवरी **(सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें)**	• समस्त छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा **सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं** किये जाने की शपथ ली जाये। • विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाले "एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं" की एक सूची एवं उनके स्थान पर विकल्प के रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों यथा–स्टील मग, पुनः उपयोग में आने वाली बॉटल आदि के सम्बन्ध में ऑडिट कराने की व्यवस्था की जाये। • हमारी पृथ्वी पर सिंगल यूज प्लास्टिक से पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में पोस्टर, वाद–विवाद, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन आदि गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाय तथा सर्वश्रेष्ठ पोस्टर को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये। • सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल जूट बैग एवं स्थानीय सामग्री आदि के उपयोग के सम्बन्घ में समुदाय को जागरूक किया जाये। • द्वितीय शनिवार को विद्यार्थियों एवं जनमानस को पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर पॉलीथीन फेंकने से जल निकास प्रणाली एवं सीवर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाने के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जागरूक किया जाये।
8	फरवरी	• जनसमुदाय को **स्वच्छता के प्रति जागरूक करने** हेतु अभिभावकों/छात्र–छात्राओं की संगोष्ठी का आयोजन किया जाये, जिसमें **वर्मी कम्पोस्ट खाद का खेती में उपयोग** एवं कूड़े को जलाने पर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जानकारी दी जाये। • प्रार्थना सभा में **मृदा संरक्षण एवं मिट्टी की जांच** के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा की जाये। • द्वितीय शनिवार को विद्यार्थियों को निकटतम पर्यावरणीय महत्व के स्थलों विशेष रूप से प्रदूषित एवं निम्नीकृत स्थलों, आदि का सावधानीपूर्वक स्थलीय भ्रमण कराकर उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाये।
9	मार्च	• प्रार्थना सभा में **गौरैया दिवस (20 मार्च)** पर गौरैया आदि पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। • प्रार्थना सभा में **विश्व जल दिवस (22 मार्च)** पर दैनिक जीवन में जल के मितव्ययी उपयोग पर छात्र–छात्राओं को जानकारी उपलब्ध करायी जाये। • **समस्त मासिक गतिविधियों की जिओटैग फोटो/वीडियो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किये जायें।**

7— **सुझावात्मक सूची**

विद्यालयों में **"Eco Clubs for Mission LiFE"** के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सुझावात्मक सूची एवं तत्संबंधी बजट विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :—

कम	गतिविधि	विवरण	सामग्री	स्वीकृत बजट (रू0)
1.	इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ नोटीफिकेशन, **"एक पेड़ माँ के नाम"** कैम्पेन / **पौधारोपण अभियान (पौध भण्डारा)**	• विद्यालय में "Eco Clubs for Mission LiFE" नोटीफिकेशन तथा प्रचार—प्रसार हेतु पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त परिसर एवं हरित जीवन शैली से संबंधित पोस्टर / सूचना बोर्ड तैयार एवं प्रदर्शित किये जायेंगे। विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये संदेशात्मक पोस्टर विद्यालय परिसर में लगाये जायेंगे। • **शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश के कम में वृहद् पौधारोपण कार्यकम से संबंधित निर्गत निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु। तत्संबंधी सुसंगत निर्देश यथासमय प्रेषित किये जायेंगे।**	• चार्ट पेपर एवं फ्लेक्स सामग्री • प्रिंटेड पोस्टर • सूचना बोर्ड / डिस्प्ले सामग्री • 'एक पेड़ माँ के नाम' पोस्टर • **विशेष पौधारोपण अभियान (पौध भण्डारा)—वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पौधों के अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर पौधों यथा—सहजन, नींबू, नीम आदि का कय।** • **किचन गार्डेन का विकास।**	2000.00
2.	जागरूकता एवं इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ तथा **"7 थीम"** आधारित (ई—वेस्ट, प्लास्टिक मुक्त अभियान आदि) गतिविधियाँ	• "Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत निर्धारित 07 विषयों — Adopt Healthy Lifestyle, Adopt Sustainable Food System, Reduce e-waste, Save Water, Reduce Waste, Say No to Single Use Plastic, Energy Conservation गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। इनमें मॉडल निर्माण, ई—वेस्ट संग्रहण, निबन्ध / चित्रकला प्रतियोगिता, जल संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अभियान संबंधित मासिक गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी। • पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास के प्रति विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समुदाय में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। इनमें जागरूकता रैली, शपथ ग्रहण, जागरूकता बैठक, नुक्कड़ नाटक, भाषण, क्विज, समूह चर्चा एवं सामुदायिक सहभागिता संबंधी गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।	• गतिविधि हेतु चार्ट / मॉडल सामग्री • प्रतियोगिता सामग्री / QR code आधारित गतिविधि सामग्री • ई—वेस्ट संग्रह बॉक्स • IEC सामग्री • विभिन्न प्रतियोगिता प्रमाण—पत्र • पोस्टर एवं बैनर • फोटोग्राफी एवं अभिलेखीकरण	1000.00
3.	कम्पोस्ट निर्माण गतिविधि	विद्यालय स्तर पर जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन को बढ़ावा देने हेतु कम्पोस्ट निर्माण गतिविधि संचालित की जायेंगी। विद्यार्थियों को सूखे एवं गीले कचरे के पृथक्करण, खाद निर्माण एवं विद्यालय उद्यान में उसके उपयोग के	• कम्पोस्ट पिट / ड्रम • जैविक अपशिष्ट संग्रह सामग्री • सूखे पत्ते एवं जैविक पदार्थ	500.00

		विषय में व्यवहारिक जानकारी दी जायेगी।	• दस्ताने एवं साफ–सफाई हेतु सामग्री • खाद संरक्षण हेतु उपकरण	
4.	स्टेशनरी एवं गतिविधि संचालन सामग्री	इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिताओं, लेखन कार्य, रिकॉर्ड संरक्षण एवं अभिलेखीकरण हेतु आवश्यक स्टेशनरी सामग्री का उपयोग किया जायेगा।	• पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्केच पेन आदि • फाइल एवं फोल्डर • चार्ट पेपर, रंग एवं मार्कर • गोंद, कैंची एवं अन्य स्टेशनरी / सामग्री	1500.00
	कुल बजट			**5000.00**

8– **वित्तीय निर्देश**

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में "Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालयों हेतु रू0 5000/– प्रति विद्यालय की दर से जनपदों को कुल धनराशि **रू0 6563.9500 लाख (रूपये पैंसठ करोड़ तिरसठ लाख पिचानबे हजार मात्र)** की लिमिट जारी की जा रही है। **तत्संबंधी जनपदवार विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :–**

2026-27 Released Budget for Eco Club for Mission LiFE (Primary and Upper Primay Schools)										
Released Head & Component code		*Major component : Quality Intervention*								
		Sub component : Fund for quality (LEP, Innovation, Guidance etc)								
		Activity : Innovation Project (Elementary Recurring)								
		Sub Activity : Youth & Eco Club (stand alone primary only schools) *Sub Activity : Youth & Eco club (UPS)*								
		Component code : F.01.12.02 (Primary schools)								
		Component code : F.01.12.01 (UPS)								
	In lakh									
S No	**District Name**	**Recommended Budget under Youth & Eco club**				**Released Budget for Youth & Eco Club**				**Total budget to be released (8+10)**
		Phy (PS)	**Fin @ 0.05**	**Phy (UPS)**	**Fin @ 0.05**	**Phy (PS)**	**Fin @ 0.05**	**Phy (UPS)**	**Fin @ 0.05**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	AGRA	1618	80.900	851	42.550	1618	**80.900**	851	**42.5500**	**123.4500**
2	ALIGARH	1374	68.700	719	35.950	1374	**68.700**	719	**35.9500**	**104.6500**
3	AMBEDKAR NAGAR	1062	53.100	501	25.050	1062	**53.100**	501	**25.0500**	**78.1500**
4	AMETHI - CSM NAGAR	1136	56.800	415	20.750	1136	**56.800**	415	**20.7500**	**77.5500**
5	AURAIYA	807	40.350	445	22.250	807	**40.350**	445	**22.2500**	**62.6000**
6	AZAMGARH	1719	85.950	943	47.150	1719	**85.950**	943	**47.1500**	**133.1000**
7	BAGHPAT	337	16.850	182	9.100	337	**16.850**	182	**9.1000**	**25.9500**
8	BAHRAICH	1848	92.400	960	48.000	1848	**92.400**	960	**48.0000**	**140.4000**
9	BALLIA	1613	80.650	610	30.500	1613	**80.650**	610	**30.5000**	**111.1500**
10	BALRAMPUR	1163	58.150	634	31.700	1163	**58.150**	634	**31.7000**	**89.8500**
11	BANDA	1092	54.600	621	31.050	1092	**54.600**	621	**31.0500**	**85.6500**
12	BARABANKI	1770	88.500	830	41.500	1770	**88.500**	830	**41.5000**	**130.0000**
13	BAREILLY	1686	84.300	771	38.550	1686	**84.300**	771	**38.5500**	**122.8500**
14	BASTI	1428	71.400	621	31.050	1428	**71.400**	621	**31.0500**	**102.4500**
15	BHADOI	520	26.000	354	17.700	520	**26.000**	354	**17.7000**	**43.7000**

16	BIJNOR	1352	67.600	748	37.400	1352	**67.600**	748	**37.4000**	**105.0000**
17	BUDAUN	1488	74.400	640	32.000	1488	**74.400**	640	**32.0000**	**106.4000**
18	BULANDSHAHR	1084	54.200	745	37.250	1084	**54.200**	745	**37.2500**	**91.4500**
19	CHANDAULI	708	35.400	457	22.850	708	**35.400**	457	**22.8500**	**58.2500**
20	CHITRAKOOT	817	40.850	438	21.900	817	**40.850**	438	**21.9000**	**62.7500**
21	DEORIA	1374	68.700	714	35.700	1374	**68.700**	714	**35.7000**	**104.4000**
22	ETAH	1124	56.200	552	27.600	1124	**56.200**	552	**27.6000**	**83.8000**
23	ETAWAH	945	47.250	527	26.350	945	**47.250**	527	**26.3500**	**73.6000**
24	FAIZABAD	1222	61.100	554	27.700	1222	**61.100**	554	**27.7000**	**88.8000**
25	FARRUKHABAD	1006	50.300	557	27.850	1006	**50.300**	557	**27.8500**	**78.1500**
26	FATEHPUR	1377	68.850	734	36.700	1377	**68.850**	734	**36.7000**	**105.5500**
27	FIROZABAD	1196	59.800	614	30.700	1196	**59.800**	614	**30.7000**	**90.5000**
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR	297	14.850	208	10.400	297	**14.850**	208	**10.4000**	**25.2500**
29	GHAZIABAD	249	12.450	188	9.400	249	**12.450**	188	**9.4000**	**21.8500**
30	GHAZIPUR	1455	72.750	779	38.950	1455	**72.750**	779	**38.9500**	**111.7000**
31	GONDA	1700	85.000	877	43.850	1700	**85.000**	877	**43.8500**	**128.8500**
32	GORAKHPUR	1657	82.850	807	40.350	1657	**82.850**	807	**40.3500**	**123.2000**
33	HAMIRPUR (U.P.)	585	29.250	366	18.300	585	**29.250**	366	**18.3000**	**47.5500**
34	HAPUR	289	14.450	202	10.100	289	**14.450**	202	**10.1000**	**24.5500**
35	HARDOI	2408	120.400	1002	50.100	2408	**120.400**	1002	**50.1000**	**170.5000**
36	HATHRAS	778	38.900	444	22.200	778	**38.900**	444	**22.2000**	**61.1000**
37	JALAUN	927	46.350	548	27.400	927	**46.350**	548	**27.4000**	**73.7500**
38	JAUNPUR	1919	95.950	850	42.500	1919	**95.950**	850	**42.5000**	**138.4500**
39	JHANSI	869	43.450	553	27.650	869	**43.450**	553	**27.6500**	**71.1000**
40	JYOTIBA PHULE NAGAR (AMROHA)	780	39.000	472	23.600	780	**39.000**	472	**23.6000**	**62.6000**
41	KANNAUJ	997	49.850	444	22.200	997	**49.850**	444	**22.2000**	**72.0500**
42	KANPUR DEHAT	1247	62.350	657	32.850	1247	**62.350**	657	**32.8500**	**95.2000**
43	KANPUR NAGAR	1153	57.650	611	30.550	1153	**57.650**	611	**30.5500**	**88.2000**
44	KANSHIRAM NAGAR	821	41.050	429	21.450	821	**41.050**	429	**21.4500**	**62.5000**
45	KAUSHAMBI	621	31.050	460	23.000	621	**31.050**	460	**23.0000**	**54.0500**
46	KHERI	1970	98.500	1105	55.250	1970	**98.500**	1105	**55.2500**	**153.7500**
47	KUSHINAGAR	1633	81.650	800	40.000	1633	**81.650**	800	**40.0000**	**121.6500**
48	LALITPUR	865	43.250	481	24.050	865	**43.250**	481	**24.0500**	**67.3000**
49	LUCKNOW	1145	57.250	456	22.800	1145	**57.250**	456	**22.8000**	**80.0500**
50	MAHARAJGANJ	1055	52.750	645	32.250	1055	**52.750**	645	**32.2500**	**85.0000**
51	MAHOBA	486	24.300	348	17.400	486	**24.300**	348	**17.4000**	**41.7000**
52	MAINPURI	1350	67.500	544	27.200	1350	**67.500**	544	**27.2000**	**94.7000**
53	MATHURA	942	47.100	581	29.050	942	**47.100**	581	**29.0500**	**76.1500**
54	MAU	760	38.000	431	21.550	760	**38.000**	431	**21.5500**	**59.5500**
55	MEERUT	628	31.400	419	20.950	628	**31.400**	419	**20.9500**	**52.3500**
56	MIRZAPUR	1217	60.850	588	29.400	1217	**60.850**	588	**29.4000**	**90.2500**
57	MORADABAD	881	44.050	513	25.650	881	**44.050**	513	**25.6500**	**69.7000**
58	MUZAFFARNAGAR	555	27.750	371	18.550	555	**27.750**	371	**18.5500**	**46.3000**
59	PILIBHIT	920	46.000	563	28.150	920	**46.000**	563	**28.1500**	**74.1500**
60	PRATAPGARH	1635	81.750	709	35.450	1635	**81.750**	709	**35.4500**	**117.2000**
61	PRAYAGRAJ	1820	91.000	970	48.500	1820	**91.000**	970	**48.5000**	**139.5000**
62	RAE BARELI	1669	83.450	602	30.100	1669	**83.450**	602	**30.1000**	**113.5500**
63	RAMPUR	964	48.200	621	31.050	964	**48.200**	621	**31.0500**	**79.2500**
64	SAHARANPUR	858	42.900	557	27.850	858	**42.900**	557	**27.8500**	**70.7500**
65	SAMBHAL (BHIM	808	40.400	465	23.250	808	**40.400**	465	**23.2500**	**63.6500**

	NAGAR)									
66	SANT KABIR NAGAR	798	39.900	430	21.500	798	**39.900**	430	**21.5000**	**61.4000**
67	SHAHJAHANPUR	1814	90.700	875	43.750	1814	**90.700**	875	**43.7500**	**134.4500**
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	379	18.950	203	10.150	379	**18.950**	203	**10.1500**	**29.1000**
69	SHRAWASTI	590	29.500	383	19.150	590	**29.500**	383	**19.1500**	**48.6500**
70	SIDDHARTHNAGAR	1518	75.900	711	35.550	1518	**75.900**	711	**35.5500**	**111.4500**
71	SITAPUR	2358	117.900	1122	56.100	2358	**117.900**	1122	**56.1000**	**174.0000**
72	SONBHADRA	1410	70.500	654	32.700	1410	**70.500**	654	**32.7000**	**103.2000**
73	SULTANPUR	1447	72.350	592	29.600	1447	**72.350**	592	**29.6000**	**101.9500**
74	UNNAO	1869	93.450	814	40.700	1869	**93.450**	814	**40.7000**	**134.1500**
75	VARANASI	790	39.500	340	17.000	790	**39.500**	340	**17.0000**	**56.5000**
	Total	**86752**	**4337.600**	**44527**	**2226.350**	**86752**	**4337.600**	**44527**	**2226.3500**	**6563.9500**

निर्गत की जा रही धनराशि सम्बन्धी लिमिट का व्यय निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अधीन किया जायेगा :–

1) **उक्त धनराशि संबंधी लिमिट समग्र शिक्षा के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों के लिये जारी की जा रही है। उक्त धनराशि का उपभोग पी0एम0श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के लिये नहीं किया जायेगा।**

2) प्रेषित की जा रही धनराशि का आहरण, खातों का रख–रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय निर्देशों के अनुसार सम्पन्न की जाये।

3) निर्गत की जा रही धनराशि संबंधी लिमिट **तीन दिवस के अंदर** विद्यालयों के एस0एम0सी0 खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा कि विद्यालय स्तर पर निर्देशानुसार गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन करते हुये निर्गत धनराशि का सम्यक् सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये।

4) "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के कियान्वयन के संबंध में होने वाले व्यय का विवरण स्टॉक पंजिका में (जैसे–सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय धनराशि, एजेन्सी/संस्था का नाम आदि) यथास्थान अंकित किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टॉक पंजिका अद्यतन हो।

5) "Eco Clubs for Mission LiFE" सम्बन्धी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु व्यय विद्यालयों के लिये प्रेषित की जा रही धनराशि की लिमिट के अन्तर्गत किया जायेगा।

6) उक्त धनराशि आर्वतक (Recurring) मद के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में ही निर्देशानुसार मासिक गतिविधियों/सुझावात्मक गतिविधियों के कियान्वयन/सामग्री कय में सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में किसी भी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं किया जायेगा। देयता सृजित करने के संबंध में संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

7) "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों पर होने वाले व्यय विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स विद्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे तथा नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेक्षण के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।

8) धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा।

9) "ECO Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत जारी धनराशि का अद्यावधिक विद्यालयवार व्यय–विवरण पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का उत्तरदायित्व जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) का होगा।

9— **अनुश्रवण एवं प्रचार–प्रसार :–**

1) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में उल्लिखित सामग्री का कय जनपद स्तर अथवा विकासखण्ड स्तर पर केन्द्रीयकृत रूप में नहीं किया जाये, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

2) "Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री तथा पौधों के क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकतानुसार जांच टीम गठित की जायेगी।

3) "Eco Clubs for Mission LiFE" के अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक तथा क्लब प्रभारी का होगा।

4) विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समय–समय पर विद्यालय में आयोजित की जाने वाली "Eco Clubs for Mission LiFE" की गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी।

5) विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा समस्त गतिविधियां ससमय पूर्ण करायी जायेंगी। इस संबंध में एस0आर0जी0 एवं ए0आर0पी0 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के समय अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा।

6) "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, डिजिटल डायरी आदि का अभिलेखीकरण किया जाये तथा तत्संबंधी संक्षिप्त आख्या, बेस्ट प्रैक्टिसेज, सक्सेस स्टोरी एवं नवाचार इत्यादि की संकलित सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

7) **विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्रय की गयी सामग्री तथा पौधारोपण का निम्नानुसार ट्रैकिंग की जायेगी :–**
   - सपोर्टिव सुपरविजन / विद्या समीक्षा केन्द्र से प्राप्त डेटा के आधार पर।
   - प्रेरणा पोर्टल पर डेटा कैप्चर फॉर्मेट के आधार पर।
   - शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल **(https://ecoclubs.education.gov.in/)** पर।

8) "Eco Clubs for Mission LiFE" संबंधी गतिविधियों का सोशल मीडिया एवं स्थानीय समाचार–पत्रों आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा तत्संबंधी पेपर कटिंग्स राज्य परियोजना कार्यालय को भी समय–समय पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत समस्त परिषदीय प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFE" गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,

22/6/26

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः गुण0वि0 / ईको क्लब–समग्र शिक्षा / 9096 / 2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव (कोऑर्डिनेशन एवं मीडिया), शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

M.

9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवम् लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
12. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन), समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

22/6/26

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक